

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

अपना डेजी वनाम शुभिका
 किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 233 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
28 $\frac{11}{25}$	वकील वादिया द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 23.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धौद जिला सीकर
23 $\frac{12}{25}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उप.। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 12 $\frac{01}{26}$ का पेश हो।
12 $\frac{01}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उप.। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 13 $\frac{02}{26}$ का पेश हो।
13 $\frac{02}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उप.। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 13 $\frac{03}{26}$ का पेश हो।
13 $\frac{03}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उप.। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 17 $\frac{04}{26}$ का पेश हो।
17 $\frac{04}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया व वादिया स्वयं अनु.। वकील वादिया व वादिया स्वयं ने माद-बाद आवाज लगी गई। इन्हें दे वावतूफ न्यायालय समय में लाभकाल तक भी इन्हें में ले कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी तरह पर इन्हें पेशी। अदम हाजिरी में आरिज किसे जान है आडेबा रिज सिता है। पत्रावली केसल शुभास हाउड बाद तकनीक दा. पिल दफतर ही।



उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर